

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का
संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम प्रमोद कुमार सिंह - द्वितीय (JO-code - UP-6407)
2. वर्तमान पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो)
3. वेतनमान 163030 रु०
4. वर्तमान विभाग का नाम न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम U.P. Judicial Services Civil Judge (Junior Division), Preliminary Exam-2003
6. विज्ञप्ति की तिथि 22-28 November 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि 17.06.2006
8. योगदान की तिथि
9. जन्म तिथि 31.07.1964
10. सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2024

मैं प्रमोद कुमार सिंह - द्वितीय पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री स. उषा शंकर सिंह शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना नवीन पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर PK Singh
नाम प्रमोद कुमार सिंह - द्वितीय (UP-6407)
पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो)

घोषणा पत्र

मैं प्रमोद कुमार सिंह - द्वितीय पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर PK Singh
नाम प्रमोद कुमार सिंह - द्वितीय (UP-6407)
पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो)

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती प्रमोद कुमार सिंह - द्वितीय पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना नई पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।